अमर उजाला जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

बरेली : कामकाजी महिलाओं को रात में घर पहुंचाएगी पुलिस

बरेली। पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे महिला अपराधों के दृष्टिगत बरेली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय पहल की है। एडीजी रमित शर्मा ने जोन के सभी जिलों की पुलिस को रात में महिलाओं को कार्यस्थल से सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अन्य कई जरूरी प्रावधान भी किए हैं। >> पेज 3

अमर उजाला जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

रात में जरूरत होने पर महिलाओं को दफ्तर से घर पहुंचाएगी पुलिस

एडीजी ने जारी किए निर्देश

बरेली। पश्चिम बंगाल व देश के अन्य हिस्सों में हो रहीं घटनाओं के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी रमित शर्मा ने आईजी बरेली, मुरादाबाद डीआईजी समेत सभी नौ जिलों के कप्तान को निर्देश जारी किए हैं कि वह महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित करें। रात में कार्यस्थल से लौटने वाली महिलाओं, युवतियों को जरूरत पड़ने पर पुलिस घर पहुंचाएगी।

एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और भद्दी टिप्पणी को गंभीरता से लें। अश्लील सामग्री दिखाना और किसी तरह के शारीरिक, मौखिक यौन संबंधों के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें।

महिलाओं को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए। रात में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिहाज से उनके आने-जाने वाले रास्तों पर विशेष ध्यान रखा जाए। सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन मुहैया कराएं। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कॉपी अपने पास रखें।

सीसीटीवी व रोशनी वाली जगहों पर उतारें

एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस यह व्यवस्था पुख्ता कराए कि रोडवेज बसों, प्राइवेट टैक्सियों और अन्य वाहनों से महिलाओं को जहां उतारा जाए, वहां सीसीटीवी और पर्याप्त रोशनी हो। सीओ और इंस्पेक्टर अपने इलाकों के कॉल सेंटर, अस्पतालों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे व बस स्टेशनों की सूची बना लें। जहां महिलाएं काम करती हों, उनका विवरण तैयार कर लें। इन सभी जगह राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विशेष गश्त और सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।

एडीजी रमित शर्मा।

शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए यूपी 112 की मदद ले सकते हैं। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो

दैनिक जागरण जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

महिला अपराधों से जुड़े हाट स्पाट को करें चिह्नित : एडीजी

कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर महिलाओं से करें बात

जागरण संवाददाता, बरेली : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एडीजी जोन रमित शर्मा ने जोन के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। एडीजी ने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हाट स्पाट चिह्नित करें, वहां नियमित पेट्रोलिंग के साथ चेकिंग कराए। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी या रात में आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संबंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच करें। संबंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कार्ट कर पहुंचाए।

एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी आडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखने के साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम के लिए निर्देशित किया हैं। सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन सेवाएं मुहैया कराएं। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कापी अपने पास रखें। नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कार्ट से घरों तक पहुंचाएं। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं।

व्यवस्था बनाने के निर्देश

एडीजी जोन रमित शर्मा •जागरण अकाईव

- बोले- जरूरत होने पर पुलिस महिलाओं को एस्कार्ट घर तक छोड़कर आए
- सरकारी, निजी संस्थान महिलाओं को कैब या निजी वाहन सेवाएं उपलब्ध कराएं

सीसीटीवी व पर्याप्त लाइट वाले जगहों को बनाए प्वाइंट

एडीजी ने निर्देश दिए कि सीसीटीवी और लाइट वाले स्थानों पर ही परिवहन निगम की बसों, प्राइवेट टैक्सी व अन्य वाहनों के ड्राप आफ प्वाइंट बनाएं। सीओ और इंस्पेक्टर अपने-अपने इलाकों के काल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों, आफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना लें, जहां महिलाएं काम करती हों, इनका विवरण तैयार कर रात के हाटस्पाट चिह्नित कर लें। इन सभी जगह राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विशेष गश्त और सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।

हिन्दुस्तान जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट

कोलकाता कांड

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। कोलकाता कांड के बाद शासन की प्राथमिकता के आधार पर एडीजी रमित शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। जोन के सभी कप्तानों को उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

एडीजी रमित शर्मा ने बताया कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में जोन के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखें। महिला अपराधों से जुड़े हॉट स्पॉट चिह्नित कर पेट्रोलिंग कराएं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी करने या रात में आने-जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्बंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। सम्बंधित थाना और चौकी उनके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर घर तक पहुंचाएं। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं।

एडीजी बोले- सुरक्षा के इंतजाम परखें

एडीजी ने कहा है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा इंतजाम परखे जाएं। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी गाइडलाइन का पालन कराएं। अगर महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और लिंग सम्बंधी टिप्पणी के मामलों आएं तो उन्हें गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें। अश्लील सामग्री दिखाना और किसी भी तरह के शारीरिक, मौखिक यौन संबंधों के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। महिलाओं को जोखिम भरे कार्यों में न लगाया जाए।

सीसीटीवी और लाइट वाली जगह बनाए ड्रॉप प्वाइंट

सीसीटीवी कैमरे और लाइट वाले स्थानों पर ही परिवहन निगम की बसों, प्राइवेट टैक्सी और अन्य वाहनों के ड्रॉप प्वाइंट बनाए जाएं। सीओ और इंस्पेक्टर महिलाओं के कार्य वाले कॉल सेन्टर, स्वास्थ्य संस्थानों, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना चिह्नित करें।

I-Next जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

जरूरत पड़ने पर महिलाओं को रात में एस्कार्ट कर घर पहुंचाएगी पुलिस

bareilly@inext.co.in

BAREILLY (24 Aug): कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एडीजी जोन रमित शर्मा ने जोन के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये है. पुलिस कप्तानों को अलर्ट करते हुए एडीजी ने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हाट स्पाट चिह्नित करें, वहां नियमित पेट्रोलिंग के साथ चेकिंग कराए. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें.

यूपी 112 करेगी मदद

नाइट डयूटी करने या रात में आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संबंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें. संबंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें. रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कार्ट कर पहुंचाये. एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं. महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी आडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखने के साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम के निर्देश दिए हैं. सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन सेवाएं मुहैया करायें. वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कापी अपने पास रखें. नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कार्ट से घरों तक पहुंचायें. इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं.एडीजी ने यह भी निर्देश दिये कि सीसीटीवी और लाइट वाले स्थानों पर ही परिवहन निगम की बसों, प्राइवेट टैक्सी और अन्य वाहनों के ड्राप आफ प्वाइंट बनायें. सीओ और इंस्पेक्टर अपने-अपने इलाकों के काल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों, आफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना लें.

अमृत विचार जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

महिलाओं को घर तक छोड़ेगी पुलिस

- एडीजी ने जोन के सभी जिलों के कप्तानों को दिए निर्देश,पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी
- रात्रि ड्यूटी के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचाएं

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब एडीजी रमित शर्मा ने जोन के सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को चिह्नित कर वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाएं। रात्रि ड्यूटी करने वाली महिलाओं या आने-जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करें। सुरक्षा के लिए कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। जरूरत पड़ने पर महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को पुलिस घर तक छोड़कर आए।

एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस संबंधित थाना और चौकी, वाहन चालक और यात्रा करने वाली महिला के संपर्क में रहें। एडीजी ने कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कराएं। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखें। रात्रि ड्यूटी के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है, तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचाएं। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं।

सीसीटीवी व पर्याप्त लाइट वाली जगहों को बनाएं ड्रॉप ऑफ प्वाइंट

एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि परिवहन निगम की बसों, निजी टैक्सी और अन्य वाहनों के लिए ऐसे स्टैंड चिह्नित करें, जहां पर पर्याप्त लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगे हों। उन्होंने निर्देशित किया कि सीओ और इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्रों के कॉल सेंटरों, अस्पतालों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना लें। इनका विवरण तैयार कर हॉट स्पॉट के रूप में चिह्नित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि इन सभी स्थानों पर राजपत्रित अधिकारी के साथ गश्त और सुरक्षा इंतजाम करें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की गाइडलाइन का पालन कराएं। निर्देशित किया महिलाओं को जोखिम भरे कार्यों में न लगाया जाए। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व चरित्र का सत्यापन कराएं और उनकी कॉपी अपने पास रखें।

राष्ट्रीय सहारा जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

विपरीत परिस्थिति में एस्कॉर्ट कर महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाएगी जोन पुलिस

बरेली । शासन की प्राथमिकता के मुताबिक बतौर जोन मुखिया एडीजी रमित शर्मा अपनी जिम्मेदारियों का शत प्रतिशत निर्वहन कर रहे है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बरेली रेंज के आईजी डा. राकेश सिंह व डीआईजी मुरादाबाद सहित सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी कर महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हॉट स्पॉट चिन्हित करें। वहॉ पेट्रोलिंग लगायें और पुलिस कर्मियों से चेकिंग करायें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी करने या रात में आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्बंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। सम्बंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कॉर्ट कर घर तक पहुंचाएगी। एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जायेगी। फिलहाल अब बरेली जोन पुलिस नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। इसमें यूपी 112 की भी मदद ली जा सकेगी।

भास्कर ब्यूरो जनपद बरेली दिनॉक 25.08.2024

महिला सुरक्षा को लेकर अलर्ट पुलिस

एडीजी बरेली जोन ने सभी कप्तानों को जारी किये निर्देश

भास्कर ब्यूरो

बरेली। एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने महिला अपराधों को लेकर बरेली जोन को अलर्ट पर रखा है। बरेली रेंज के आईजी, मुरादाबाद के डीआईजी समेत सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वह महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हॉट स्पॉट चिन्हित करें। वहाँ पेट्रोलिंग लगायें और पुलिस कर्मियों से चेकिंग करायें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी करने या रात में आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्बंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। सम्बंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कॉर्ट कर पहुंचाये।

मिशन शक्तिः महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस : एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ,

मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाये। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखें।

कार्यस्थलों पर सुरक्षा के रखे विशेष इंतजाम : कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये जायें। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी गाइडलाइन का पालन करें। महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और उन पर लिंग सम्बंधी भद्दी टिप्पणी के मामलों को गंभीरता से लें। अश्लील सामग्री दिखाना और किसी भी तरह के शारीरिक, मौखिक यौन संबंधों के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। महिलाओं को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाये। रात में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिहाज से उनके आने जाने वाले रास्तों पर विशेष ध्यान रखा जाये। सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन सेवाएं मुहैया करायें। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कॉपी अपने पास रखें। नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचायें। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं। सीसीटीवी और लाइट वाले स्थानों पर ही परिवहन निगम की बसों, प्राइवेट टैक्सी और अन्य वाहनों के ऐसे ड्रॉप ऑफ प्वाइंट बनायें। सीओ और इंस्पेक्टर अपने-अपने इलाकों के कॉल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना लें। जहां महिलाएं काम करती हों, इनका विवरण तैयार कर रात के हॉट स्पॉट चिह्नित कर लें। इन सभी जगह राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विशेष गश्त और सुरक्षा इंतजाम किए जायें।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर रहेगी पुलिस,एडीजी

अर्ली मॉर्निंग ब्यूरो

लखनऊ। एडीजी बरेली ज़ोन रमित शर्मा ने महिला अपराधों को लेकर बरेली जोन को अलर्ट पर रखा है। बरेली रेंज के आईजी, मुरादाबाद के डीआईजी समेत सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं। कि वह महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हॉट स्पॉट चिन्हित करें। वहाँ पेट्रोलिंग लगायें और पुलिस कर्मियों से चेकिंग करायें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी करने या रात में आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्बंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। सम्बंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कॉर्ट कर पहुंचाये। एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं। महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाये। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखें। कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये जायें। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी गाइडलाइन का पालन करें। महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और उन पर लिंग सम्बंधी भद्दी टिप्पणी के मामलों को गंभीरता से लें। अश्लील सामग्री दिखाना और किसी भी तरह के शारीरिक, मौखिक यौन संबंधों के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। महिलाओं को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाये।

एडीजी बरेली जोन ने सभी नौ जिलों के कप्तानों को जारी किये निर्देश,, जरूरत पड़ने पर रात में एस्कॉर्ट कर महिलाओं को घर पहुंचायेगी पुलिस,, महिला अपराधों से जुड़े हॉट स्पॉट चिन्हित कर करायें पेट्रोलिंग,,लगायें ड्यूटी,, मिशन शक्ति: महिला अपराधों पर जीरो टालरेंस,, कार्यस्थलों पर सुरक्षा के रखे विशेष इंतजाम

रात में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिहाज से उनके आने जाने वाले रास्तों पर विशेष ध्यान रखा जाये। सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन सेवाएं मुहैया करायें। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कापी अपने पास रखें। नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचायें। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं।

प्रयाण सवेरा जनपद बिजनौर दिनॉक 25.08.2024

7 बिजनौर रविवार 25 अगस्त, 20245 प्रयाण सवेरा

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर रहेगी पुलिस

▶▶ एडीजी बरेली जोन ने सभी नौ जिलों के कप्तानों को जारी किये निर्देश ▶▶ जरूरत पड़ने पर रात में एस्कॉर्ट कर महिलाओं को घर पहुंचायेगी पुलिस

▶▶ महिला अपराधों से जुड़े हॉट स्पॉट चिन्हित कर करायें पेट्रोलिंग, लगायें ड्यूटी

संवाददाता प्रयाण सवेरा

बरेली। शासन की प्राथमिकता के दृष्टिगत एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने शनिवार को महिला अपराधों को लेकर बरेली जोन को अलर्ट पर रखा है। बरेली रेंज के आईजी, मुरादाबाद के डीआईजी सहित सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि वह महिला अपराधों से जुड़े स्थानों को हॉट स्पॉट चिन्हित करें। वहाँ पेट्रोलिंग लगायें और पुलिस कर्मियों से चेकिंग करायें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत करें। नाइट ड्यूटी करने या रात में आने जाने वाली

मिशन शक्ति महिला अपराधों पर जीरो टालरेंस

एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया कि कार्यालयों, विभागों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किये गये हैं। महिला सुरक्षा से खिलवा? करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाये। रात में महिलाओं के आने-जाने के रास्तों, इमरजेंसी सेवाओं, सिक्योरिटी ऑडिट, महिला हेल्पलाइन को अलर्ट मोड पर रखें।

सीसीटीवी और पर्याप्त लाइट वाली जगहों को बनायें ड्रॉप ऑफ प्वाइंट

सीसीटीवी और लाइट वाले स्थानों पर ही परिवहन निगम की बसों, प्राइवेट टैक्सी और अन्य वाहनों के ऐसे ड्रॉप ऑफ प्वाइंट बनायें। सीओ और इंस्पेक्टर अपने-अपने इलाकों के कॉल सेन्टर, स्वास्थ्य संस्थानों, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे बस स्टेशन की सूची बना लें। जहाँ महिलाएं काम करती हों, इनका विवरण तैयार कर रात के हॉट स्पॉट चिह्नित कर लें। इन सभी जगह राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विशेष गश्त और सुरक्षा इंतजाम किए जायें।

कार्यस्थलों पर सुरक्षा के रखे विशेष इंतजाम

कार्यस्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये जायें। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी गाइडलाइन का पालन करें। महिलाओं से शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न और उन पर लिंग सम्बंधी भद्दी टिप्पणी के मामलों को गंभीरता से लें। अश्लील सामग्री दिखाना और किसी भी तरह के शारीरिक, मौखिक यौन संबंधों के प्रयास की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। महिलाओं को जोखिम भरे कामों में न लगाया जाये। रात में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिहाज से उनके आने जाने वाले रास्तों पर विशेष ध्यान रखा जाये। सरकारी, निजी संस्थान उन्हें कैब या प्राइवेट वाहन सेवाएं मुहैया करायें। वाहनों के चालकों के लाइसेंस व उनके चरित्र सत्यापन की कापी अपने पास रखें। नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है तो उन्हें सुरक्षित एस्कॉर्ट से घरों तक पहुंचायें। इसमें यूपी 112 की मदद ले सकते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सम्बंधित कैब या गाड़ी चालक की जांच पड़ताल करें। सम्बंधित थाना और चौकी उसके संपर्क में रहें। रात में कामकाजी महिलाओं या किसी वजह से लेट होने वाली युवतियों, छात्राओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस उन्हें घर तक एस्कॉर्ट कर पहुंचाये।